

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 73/2021

1. पालाराम पुत्र रामकरण जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

--वादी

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र रामकरण जाति कुम्हार जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. लिछमा देवी पत्नी काशीराम जाति कुम्हार जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. धोलुराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार जाति कुम्हार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।
6. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबंधक।

--प्रतिवादीगण

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता
2. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता
3. राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा

-- वादी

-- प्रतिवादी सं. 1, 3

-- प्रतिवादी सं. 5

निर्णय

दिनांक :- 27/01/2022

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक, अधिवक्ता, एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक रणजीत कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 53 आरटीए एवं 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया जाकर वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है:-

(क) वादी पालाराम को विभाजन मे प्राप्त भूमि :-

चक 139 आरडी के प.नं. 6/336 (19) किला नं. 4/11.228, 4/21.025, 5/11.203, 5/21.025, 6, 7, 15 की कुल 1.240 है।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मनोहरलाल को विभाजन में प्राप्त भूमि :-

चक 139 आरडी के प.नं. 5/336 (20) कि.नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025 की 1.012 हैक्टेयर, नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी, प.नं. 6/336 (19) कि.नं. 5/1/0.025 की 0.025 हैक्टेयर कुल 1.037 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।



27.01.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(ग) प्रतिवादी सं. 2 लिछमा को विभाजन में प्राप्त भूमि :-

चक 139 आरडी के प.नं. 5/336 (20) कि.नं. 9/0.228, 10/0.253 की 0.481 हैक्टेयर कुल नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

(घ) प्रतिवादी सं. 3 धोलूराम को विभाजन में प्राप्त भूमि :-


चक 139 आरडी के प.नं. 5/336 (20) कि.नं. 7/0.202, 8/0.253, 9/0.025 की 0.480 हैक्टेयर, नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

(ङ) प्रतिवादी सं. 4 अमरसिंह को विभाजन में प्राप्त भूमि :-

चक 139 आरडी के प.नं. 5/336 (20) कि.नं. 5/1/0.202, 5/1/0.051, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.051 की 0.557 हैक्टेयर नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा